जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(जन–सम्पर्क अनुभाग)
(प्रेस विज्ञप्ति)

लम्बित वीसीआर के अंतिम निस्तारण के लिए जयपुर डिस्कॉम ने लागू की सरल व कन्ज्यूमर फ्रेण्डली योजना
योजना एक अगस्त से 30 नवम्बर, 2017 तक प्रभावी

जयपुर, 01 अगस्त। जयपुर डिस्कॉम द्वारा बिजली चोरी व दुरुपयोग से सम्बन्धित बड़ी संख्या में लम्बित वीसीआर एवं इससे सम्बन्धित उपभोक्ता/गैर उपभोक्ताओं की शिकायतों के शीघ्र निस्तारण के लिए एक विशेष योजना लागू की है। योजना एक अगस्त से 30 नवम्बर, 2017 तक प्रभावी रहेगी।

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक श्री आर.जी.गुप्ता ने बताया कि 30 जून, 2016 तक की लम्बित वीसीआर के अंतिम निस्तारण हेतु पूर्व में लागू योजना की लम्बी प्रकिया एवं व्यावहारिक समस्याओं के फलस्वरूप संतोषजनक परिणाम प्राप्त नही हो रहे थे। इसको ध्यान में रखते हुए योजना में प्रचलित प्रक्रिया को ओर सरल व कन्ज्यूमर फ्रेण्डली बनाने के लिए 1 अगस्त, 2017 से चार माह की अवधि के लिए विशेष योजना लागू की है। इससे एक ओर जहां बड़ी संख्या में लम्बित सतर्कता जांच प्रतिवेदनों का निस्तारण होने से निगम को अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी वहीं दूसरी ओर वीसीआर से सम्बन्धित उपभोक्ताओं/गैर उपभोक्ताओं की शिकायतों का निस्तारण भी होगा।

उन्होंने बताया कि विजीलेन्स व ओ एण्ड एम विंग के अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि वे 30 जून, 2016 तक की लम्बित वीसीआर जिनमें राजस्व का निर्धारण अभी तक नही हुआ है वे राजस्व का निर्धारण कर 16 अगस्त, 2017 तक सम्बन्धित उपभोक्ताओं को नोटिस जारी करें। ऐसे उपभोक्ता/गैर उपभोक्ता जिनके विरुद्ध 30 जून, 2016 से पूर्व बिजली चोरी अथवा दुरुपयोग की वीसीआर भरी गई हो और अभी तक उसका निस्तारण नही हुआ हो तो वे सम्बन्धित सहायक अभियन्ता कार्यालय में सम्पर्क कर इस योजना का लाभ उठा सकते है।

योजना में सहायक अभियन्ता को अधीकृत किया गया है कि वे लम्बित वीसीआर पर 50 हजार रुपए तक सिविल लायबिलिटी व कम्पाउण्डिग राशि की 50 प्रतिशत राशि जमा कर वीसीआर का निस्तारण कर सकते है। यदि सिविल लायबिलिटी व कम्पाउण्डिग राशि 50 हजार रुपए से अधिक है तो 50 हजार रुपए का 50 प्रतिशत व 50 हजार से अधिक राशि पर 10 प्रतिशत जमा कर वीसीआर का निस्तारण करेगें। वीसीआर के पूर्व में निस्तारित हो चुके प्रकरणों को पुनः नही खोला जाएगा।

<u>इस तरह समझे:</u> यदि किसी उपभोक्ता पर वीसीआर की राशि 50,000/– रू. है तो उसे 25,000/– रूपये (50 प्रतिशत) जमा करवाने होंगे। यदि वीसीआर की राशि 60,000/– रू. है, तो वह 25,000/– रू. (50,000 का 50 प्रतिशत) एवं 1,000 (10,000 की 10 प्रतिशत) कुल 26,000/– रूपये जमा करवाकर वीसीआर को निस्तारित करवा सकते है।

———————

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 607/2017